कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./3192 नारायणपुर,दिनांक..28/07/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :— **Diversion of Forest land for non- forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Chhotedonger Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power &Ispat Ltd.Have been granted with Mining lease for Iron ore Area 66.02 ha. reg.**

सन्दर्भ :— मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर का पृ0क्र0/मा0चि0/4501 दिनांक 17. 07.2020 ।

——00——

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के द्वारा नारायणपुर वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र छोटेडोंगर के ग्राम छोटेडोंगर मे लौह अयस्क उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियां परिलक्षित हुई है जो निम्नानुसार है ।

क्रं0	त्रुटियां	त्रुटियों की पूर्ति
I	ऑन लाईन कमियां	
1	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में —पहुंच मार्ग हेतु तीन विकल्पों को अलग —अलग रंगों में नक्शे में दिखायें । प्रमाणित करें कि तीनों विकल्प वायेबल हैं। प्रमाणित करे कि तीनों में से जो एक विकल्प आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसमें सबसे कम वन क्षेत्र व्यपवर्तित होगा । अगर आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प में सबसे कम वनक्षेत्र व्यपवर्तित नहीं होना पाया जा रहा है तो यह प्रमाणित करें कि आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प ही एक मात्र विकल्प है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। जानकारी अपलोड करें।	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में —पहुंच मार्ग हेतु तीनो विकल्पों को अलग —अलग रंगों के नक्शे मे संधारण कर प्रमाणित नक्शों का प्रमाण पत्र सहित अपलोड किया गया है।
2	Form A Part-II के कॉलम नं. 13 (v) (Copy of NOC from Competent Authority) में अपलोड वनमण्डलाधिकारी का पत्र क्रमांक / 4532 दिनांक 30.08.2019 है। सर्व प्रथम पत्र का विषय एवं पत्र में	Form A Part-II के कॉलम नं. 13 (v) (Copy of NOC from Competent Authority)म अपलोड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निजी भूमि चयन कर क्रय

E:\ Folder D.M 2020/letter/Manchitrakar-2020

Scanned with CamScanner

	लिखे विवरण से मैंच नही हो रहा है। विवरण में – खनन कार्य –57.000 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि चयन कर क्रय हेतु अनुबंध किया गया है एवं खरीदे गये भूमि का खसरावार विवरण पत्र में है। जॉच करने पर पाया गया कि जो खसरा वार विवरण अपलोड किया गया है उसका मिलान अगर खसरावार किया जाता है तो– **–पैच नं. 1 में** अपलोड कुल 12 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 16.511 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल –24.813 हे.अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल. का क्षेत्रफल निकलने पर –24.496 होता है। **– पैच नं. 2 में** अपलोड कुल 1 खसरें की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रानुसार 2. 569 हे.होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल –1.751 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल का क्षेत्रफल निकालने पर –3.705 हे. होता है। अगर पैंच –1.751 हे. ही लिया गया है तो के.एम.एल. भी उतना होना चाहिए। **–पैच नं.3 में** अपलोड कुल 13 खसरों की जानककारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपराक्त पत्रानुसार 10.836 हे. होता है। परन्तु कुल क्षेत्रफल –12.621 हे. होता है। **– पैच नं.4 में** अपलोड कुल 19 खसरों की जानकारी दी गई जिसका कुल क्षेत्रफल उपरोक्त पत्रापुसार 28.525 हे. होता है परन्तु कुल क्षेत्रफल –26.835 हे. अपलोड किया गया है एवं के.एम.एल. का क्षेत्रफल निकालने पर –26.950 हे.होता है।	हेतु अनुबंध किया गया है क्षेत्र पाएं गये त्रुटियों का सुधार कर के.एम.एल.फाईल सहित पुनः अपलोड किया गया है।
3	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस.रिपोर्ट एवं चयन किए गए क्षतिपूर्ति क्षेत्र का उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित अपलोड करें।	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी के कॉलम में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस.रिपोर्ट एवं चयन किए गए क्षतिपूर्ति क्षेत्र का उपयुक्ता प्रमाण पत्र सहित अपलोड किया गया है।
4.	Form A part-IIके कॉलम नं. 13 (iii एवं iv) में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा अपलोड करें।	Form A part-IIके कॉलम नं. 13 (iii एवं iv) में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा अपलोड किया गया है।

Scanned with CamScanner

5	Form A part-IIके कॉलम नं.13 (ii)में Copy of CA scheme ditails : अस्पष्ट है। राजस्व वन उल्लेख किया गया परन्तु उक्त के समक्ष कक्ष क्रमांक लिखा गया है। उक्त जानकारी सही कर स्पष्ट एवं स्वच्छ प्रति अपलोड करें।	Form A part-IIके कॉलम नं.13 (ii)में Copy of CA scheme ditails : सुधार कर पुनः अपलोड किया गया है।
6	Form A part-IIके कॉलम नं.4 (ii)(species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL) :में कुल वृक्षों की संख्या 1091 अपलोड किया गया है। परन्तु वनमण्डलाधिकारी के निरिक्षण प्रतिवेदन में आवेदित क्षेत्र में कुल 22360 वृक्षों का उल्लेख किया गया है। जिसे आनलाईन सुधार किया जाना आवश्यक है।	Form A part-IIके कॉलम नं.4 (ii) (species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL) के लौह अयस्क खनिपट्टा क्षेत्र / पहुंच मार्ग में कुल 03 सेम्पल प्लाट के आधार पर कुल 1091 वृक्षों की गणना किया गया। जिसमें लौह अयस्क खनन क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर औसतन वृक्ष 1006 / 3 = 335 × 57.00 =19095 वृक्ष एवं पहुंच मार्ग क्षेत्र में 85 / 3 = 262 × 9.020=2364 इस प्रकार कुल वृक्ष संख्या 21459 वृक्ष है। जिसका सुधार किया गया है।
7	Form A part-IIके कॉलम नं.15 (ii) (Species recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for accepptance or otherwise of the proposal with reason) में मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र पार्ट –3 अपलोड किया गया है। मुख्य वन संरक्षक कांकेर द्वारा भाग–3 भरा गया है परंतु भाग–3 के प्रथम विन्दु अनुसार किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न नही किया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षक कांकेर का भी स्थल निरीक्षण संबंधी टीप संलग्न की जावें तथा अपलोड नही है।	
8	FRA Certificate कलेक्टर कार्यालय द्वारा अपलोड नही है।	FRA Certificate अतिरिक्त जानकारी के कॉलम मे अपलोड किया गया है।
9	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित वेजीटेशन मैंप फार्म –ए पार्ट –2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड नही किया गया है।	सत्यापित वेजीटेशन मैंप फार्म –ए पार्ट –2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड किया गया है।
II	ऑफ लाईन कमियां	
1	चेक लिस्ट क्रमांक (13) कास्ट बेनिफिट त्रुटिपूर्ण है। नवीन गाईड लाईन 2019 अनुसार तैयार नही किय गया है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कास्ट बेनिफिट हेतु नवीन गाईड लाईन 2019 हेण्ड बुक के पृष्ठ क्रमांक 101 से 104

Scanned with CamScanner

		तक तैयार की गई नियम के अनुसार ही कास्ट बेनिफिट एनालसिस तैयार किया गया है ।(जिसकी छायाप्रति सलग्न हैं ।)
2	चेक लिस्ट क्रमांक(43) तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण में लागू नही है का उल्लेख किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। पहुंच मार्ग हेतु तीन विकल्पों का परीक्षण किया जाना नवीन गाईड लाईन के पृष्ठ क्रमांक 25 अनुसार आवश्यक है। अतः तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण मय मानचित्र में दर्शाते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें तथा तुलना करते हुए औचित्य बतावें कि किस प्रकार आवेदित पहुंच मार्ग ही सर्वोत्तम विकल्प है।	उक्त प्रकरण विधुत लाईन से संबंधित नही है। प्रकरण खनिपट्टा एवं खान पहुंच मार्ग से संबंधित है। न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का प्रमाण पत्र सहित मानचित्र सलग्न है।
3	पहुंच मार्ग निर्माण उपरांत उक्त मार्ग में शासकीय वाहनों के आने जाने हेतु आवेदक संस्थान को कोई आपत्ति नही होगी तथा आवेदक संस्थान द्वारा कोई शुल्क नही लिया जायेगा — इस आशय का वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर संलग्न किया जावें।	पहुंच मार्ग निर्माण उपरांत उक्त मार्ग में शासकीय वाहनों के आने जाने हेतु आवेदक संस्थान को कोई आपत्ति नही है जिसका वचन पत्र सलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का सुधार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

Scanned with CamScanner